पेंशनर्स एसोसिएशन, एक्स-असम तेल अधिकारी एवं अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य।

फरवरी 17,2004

[बृजेश कुमार और अरुण कुमार, जे. जे.]

सेवा कानून;

बर्मा ऑयल कंपनी (ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयरो का और भारत में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड और बर्मा ऑयल कंपनी के उपक्रमों का अधिग्रहण। (इंडिया ट्रेडिंग लिमिटेड) अधिनियम, 1981; 6(1), 11(1), 12: भारत सरकार द्वारा एक तेल कंपनी का अधिग्रहण और बाद में इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड के साथ विलय -ऑयल कंपनी के सेवानिवृत्त लोगों को संशोधित पेंशन योजना के लाभों से इनकार-चुनौती-अभिनिर्धारित उपक्रम की अधिकारिता मे उस कम्पनी के कर्मचारियो को पेंशन/अन्य पेंशन लाभ के भुगतान शामिल होंगे -पेंशन योजना (1973) जो ऑयल कम्पनी द्वारा उसके कर्मचारियों के पेंशन लाभ के लिए कोष बनाने के लिए बनाई गई थी -उतराधिकारी निगम को निधि का स्थानान्तरण-इसके बाद निगम द्वारा संशोधित पेंशन योजना (1983) बनाई गई-दोनों योजनाओं के उद्धेश्य समान है-पूर्ववर्ती तेल कम्पनी के सेवानिवृत कर्मचारी नियत दिन पर निगम के सदस्य बने एवं उन्हे रूपान्तरित कर्मचारी के रूप मे भी

माना जा सकता है-संशोधित योजना के निष्पादन पर या उसके बाद सेवानिवृत कर्मचारियों पर लागू होने के लिए किसी भी स्पष्ट प्रावधान का अभाव-इसलिए तेल कम्पनी से सेवानिवृत होने पर कम्पनी द्वारा हस्तातंरित धनराशि से संशोधित पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ प्राप्त करने के पात्र है।-कानून की व्याख्या।

याचिकाकर्ता उस तेल कंपनी (असम ऑयल कंपनी लिमिटेड) का सेवानिवृत्त कर्मचारी था, जिसका भारत सरकार ने बर्मा ऑयल कंपनी (ऑयल इंडिया के शेयरो का और भारत में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के उपक्रमों का अधिग्रहण) और बर्मा ऑयल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग लिमिटेड) अधिनियम, 1981 के आधार पर राष्ट्रीयकरण किया और उसे अपने कब्जे मे लिया। उक्त ऑयल कंपनी का बाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (असम ऑयल डिवीजन) में हस्तान्तरण और विलय कर दिया गया। कंपनी के सभी कर्मचारी नियुक्ति की तिथि के पश्चात् इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के उतराधिकारी कर्मचारी बन गए। कंपनी के अधिकार, शीर्षक और हित जिसमें पेंशन/पेंशन लाभों के भुगतान के भी सम्मिलित है। उक्त भारतीय तेल निगम मे हस्तांतरित किए और सौंपे गए। अपने सेवानिवृत कर्मचारियों के पेंशन के भुगतान के लिए कम्पनी द्वारा बनाई गई धनराशि भारतीय तेल निगम को हस्तातंरित कर दी गई और ये सेवानिवृत लोग पेंशन प्राप्त कर रहे थे। संशोधित पेंशन योजना, 1983 के

अनुसरण में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने 1995 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (असम ऑयल डिवीजन) के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन में संशोधन के लिए एक सूत्र जारी किया। हालाँकि, उक्त योजना ऐसे कर्मचारी जो 1 दिसंबर, 1994 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। उनके सम्बन्ध मे लागू किया गया था। सुब्रत सेन और अन्य बनाम भारत संघ व अन्य [2001] 8 एस. सी. सी. 71 के मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा कट-ऑफ तिथि को चुनौती दी गई थी। और इस न्यायालय ने कटौती की तारीख को रद्द कर दिया, जिससे कटौती की तारीख से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी संशोधित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हो गए। हालांकि, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ऑयल कंपनी के सेवानिवृत्त लोगों को संशोधित योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया। इसलिए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

निर्धारित तिथि से पहले मौजूद पेंशन निधि को उत्तराधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को हस्तांतरित कर देने के बाद कंपनी के याचिकाकर्ताओं-सेवानिवृत्त लोगों द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि वे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पेंशन/पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं; कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 12 (3) के आधार पर पेंशन निधि का पुनर्गठन किया गया था; और कि उन्हें अधिनियम की धारा 12 (1) (4) के तहत कानून

के प्रावधानों के आधार पर संशोधित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार था।

उत्तरदाताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि नियत तिथि से पूर्व सेवानिवृत कर्मचारी उन कर्मचारियों मे से नही थे। जिन्हें उत्तराधिकारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में स्थानांतरित किया गया था और संशोधित पेंशन योजना, 1983 उन पर लागू नहीं हुई थी; कि कंपनी के सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन लाभों का भुगतान करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को कोई पेंशन निधि हस्तांतरित नहीं की गई थी; कि कंपनी के सेवानिवृत्त लोग कंपनी द्वारा घोषित पेंशन योजना, 1973 के अनुसार लाभ प्राप्त कर रहे थे। अर्थात् जिसे वार्षिकी से जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त लोगों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति से पहले खरीदा गया था कि कंपनी के सेवानिवृत्त लोगों का इंडियन ऑयल कंपनी से कोई संबंध नहीं था; और कि कंपनी के सेवानिवृत्त लोग संशोधित पेंशन योजना के लाभों का दावा करने के हकदार नहीं थे।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित: 1.1 केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी कंपनी यह दावा नहीं कर सकती कि उसने कम्पनी का अधिग्रहण होने पर तेल कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अपने सभी संबंध पूरी तरह से समाप्त कर

दिए है। जैसा कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 6 (1) के उतरार्ध से स्पष्ट होगा। केन्द्र सरकार या उतराधिकारी कम्पनी की देनदारियों में करो के भुगतान की सभी देनदारियां यदि कोई हो तो और भारत में अपने उपक्रमों के संबंध में कार्यरत व्यक्तियों को किसी भी पेंशन और अन्य पेंशन लाभों के भुगतान के लिए शामिल होंगे। इसलिए निर्दिष्ट कम्पनी (असम ऑयल कंपनी लिमिटेड) के कर्मचारियों की पेंशन या पेंशन सम्बन्धी लाभों की देनदारियों को उत्तरदाताओं द्वारा किए गए प्रयास और प्रचार के तरीके से बंद नहीं किया जा सकता है। निर्दिष्ट कंपनी के कर्मचारियों की पेंशन और पेंशन लाभों के संबंध में देनदारियों को भी केंद्र द्वारा लिया जाता है। [488 – बी-डी]

1.2. 1973 की योजना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभों के लिए एक न्यास और एक विलेख बनाकर तैयार की गई थी। किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विशेष रूप से कर्मचारी और जीवन बीमा निगम के बीच का मामला था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। नियत दिन पर ऐसे मौजूदा अधिकारो को अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) को ध्यान में रखते हुए पूर्वाग्रहित या कम नहीं किया जा सकता। [488 -एफ, जी]

1.3. अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के अनुसरण में उत्तराधिकारी कंपनी द्वारा एश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों के लिए पेंशन

योजना 1983 तैयार की गई है और यह उन कर्मचारियों के संबंध में है जो नियत दिन से उत्तराधिकारी कंपनी के कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे थे और पदभार संभाल रहे थे और साथ ही साथ जो पेंशन या अन्य पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे थे। नियत दिन पर मौजूद निधि को स्थानांतरित कर दिया गया और केंद्र सरकार/उतराधिकारी कंपनी में निहित कर दिया गया। 1973 की योजना के तहत गठित उस तारीख को जो कोष मौजूद था, वह सेवा मे कर्मचारियों के पेंशन लाभों के लिए था या नियत तिथि 14.10.1981 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का था। अधिनियम की धारा 12(3) के तहत कानून की आवश्यकता के अनुसार, 1983 की योजना के उद्देश्य 1973 की योजना के उद्देश्यों के समान हैं-पेंशन कोष 1983 को नियत तिथि से प्रभावी बना दिया गया है। असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा गठित निधि तब अस्तित्व मे थी और उतरदाताओ को दिखाने पर उत्तराधिकारी कंपनी में निहित हो गई थी। यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं अर्थात तेल कंपनी के सेवानिवृत व्यक्तियों के पेंशन लाभों के लिए कोई निधि मौजूद नहीं थी। या यह कि यह उत्तराधिकारी कंपनी में निहित नहीं था। [491-ए-डी]

1.4. याचिकाकर्ता निस्संदेह मौजूदा निधि के सदस्य थे अर्थात्, कम्पनी के कर्मचारीयों के पेंशन लाभ के लिए 1973 की योजना के तहत निधि बनाई गई और निधि नियत दिन पर मौजूद थी। इसलिए,

स्थानान्तरित कर्मचारी की परिभाषा के तहत, नियत दिन पर मौजूदा निधि से पेंशन लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को भी 1983 की योजना के उद्देश्यों के लिए स्थानान्तरित कर्मचारियों के रूप में माना जाएगा और आगे 'सदस्य' शब्द की परिभाषा में निगम के एक कर्मचारी में एक स्थानान्तरित कर्मचारी भी शामिल है। चूंकि 1983 की योजना की लगभग सभी शर्तें पहले की योजना के समान हैं, और इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि कंपनी के याचिकाकर्ताओं/सेवानिवृत्त लोगों को अभी भी उनके पेंशन लाभों का भुगतान किया जा रहा था। याचिकाकर्ता जो 1973 की योजना के सदस्य रहे हैं, उन्हें निगम के 1983 की योजना के सदस्य होने के नाते पेंशन लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह स्थिति होने के कारण, उन्हें संशोधित पेंशन योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था। किसी प्रावधान के अभाव में संशोधित फॉर्मूला, 1995 के लागू होने पर, यह फॉर्मूला 1983 की योजना के सभी सदस्यों पर लागू होगा, चाहे उनकी सेवानिवृत की तारीख कुछ भी हो। संशोधित सूत्र के अनुसार पेंशन लाभ के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता अधिनियम की धारा 6 (1) और धारा 12 (3) और (4) और 1983 की पेंशन योजना के तथ्यों और प्रावधानों के अनुरूप है। कोई अन्य व्याख्या तथ्य और अर्थ और इन प्रावधानों की भावना के खिलाफ होगी। निश्चित रूप से वे कर्मचारी जो पेंशन के बिल्कुल भी हकदार नहीं थे, उन्हें पेंशनभोगियों के दायरे में शामिल नहीं किया जा

सकता था, जिन पर पेंशन लाभ में वृद्धि लागू होगी। [491 -एफ-एच; 492-ए, ई-जी; 493-सी]

सुब्रत सेन और अन्य बनाम भारत संघ अन्य। , [2001] 8 एस. सी. सी 71; वी. कस्तुरी बनाम। एम. डी. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य, [1998] 8 एस. सी. सी. पेज 30 और हरिराम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [1998] 6 एस. सी. सी. 328, को भिन्न किया गया।

2. उत्तरदाताओं को संशोधित पेंशन के लिए 1995 के सूत्र के अनुसार याचिकाकर्ताओं को पेंशन लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता है [494 -बी]

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः की लिखित याचिका (सी) संख्या 42 2003 (भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

याचिकाकर्ताओ की ओर से जी. एल. सांघी, प्रमोद बी. अग्रवाल, सुश्री प्रवीणा गौतम और सुश्री. रीना खेर।

उत्तरदाताओं की ओर से राजू रामचंद्रन, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, राज बीरबल, तुफैल ए. खान, सी. वी. सुब्बा राव, बी. वी. बलराम दास, राकेश के. खन्ना, श्रीमती रश्मि खन्ना, शशांक शेखर और सूर्यकांत।

बृजेश कुमार, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया था। यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत पेंशनभोगियों द्वारा दायर की गई है। जिनमें से सभी की आयु 75 वर्ष से अधिक बताई गई है

और वे 13 अक्टूबर, 1981 को या उससे पहले असम ऑयल कंपनी लिमिटेड की सेवा कर रहे थे। ये याचिकाकर्ता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सेवानिवृत्त लोगों के लिए बिना किसी भेदभाव या सेवानिवृत्ति की कट-ऑफ तिथि के संशोधित पेंशन योजना के लाभ का दावा करते हैं।

असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के साथ-साथ बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किया गया और भारत सरकार ने बर्मा ऑयल कंपनी(ऑयल इंडिया लिमिटेड के शेयरों का अधिग्रहण और असम ऑयल कंपनी लिमिटेड और असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अधिग्रहण) के आधार पर इसे अपने कब्जे में ले लिया। बर्मा ऑयल कंपनी (इंडिया ट्रेडिंग लिमिटेड) अधिनियम, 1981 के तहत (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार, नियत तिथि से, अर्थात् भारत में अपने उपक्रमों के संबंध में उक्त कंपनियों के अधिकार, स्वामित्व और हित को केंद्र सरकार को हस्तांतरित और निहित किया जाना था। अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत, कंपनियों के उपक्रमों में सभी परिसंपत्तियां, अधिकार, शक्तियां, लेखा पुस्तकें, रिकॉर्ड आदि शामिल माने जाएंगे, जिसमें ऋण, देनदारियां, जिसमें करों के भुगतान के लिए देयता, यदि कोई हो, और भारत में अपने उपक्रमों के संबंध में कार्यरत व्यक्तियों को किसी भी पेंशन और अन्य पेंशन लाभों का भुगतान आदि शामिल हैं। अधिनियम की

धारा 9 के आधार पर केंद्र सरकार में निहित उपक्रमों को जारी रखने के बजाय बाद में एक या अधिक सरकारी कंपनियों में निहित किया जा सकता था। इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि असम ऑयल कंपनी लिमिटेड को केंद्र सरकार में हस्तातंरित और निहित करने के बाद अधिसूचना दिनांकित 13.10.1981 के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (असम ऑयल डिवीजन) में निहित किया गया। नियत तिथि से ठीक पहले कार्यरत निर्दिष्ट कंपनी के सभी कर्मचारी केंद्र सरकार/उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी बन गए। इस उद्धेश्य के लिए धारा 11 की उप-धारा (1) निम्नानुसार हैः

"11.(1) किसी निर्दिष्ट कंपनी का प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी जो नियत दिन से तुरंत पहले उस कंपनी द्वारा भारत में उसके उपक्रमों के संबंध में नियुक्त किया गया था, और किसी निर्दिष्ट कंपनी का प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या कर्मचारी जो नियत दिन से ठीक पहले नियोजित था।

भारत के बाहर किसी भी कार्य को अस्थायी रूप से करने पर, नियत दिन पर केन्द्र सरकार या सम्बन्धित सरकारी कम्पनी (इसके बाद उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी के रूप में संदर्भित) का एक अधिकारी या अन्य कर्मचारी बन जाएगा, जिसमें अधिकार, शीर्षक और हित होंगे। भारत में अपने उपक्रमों के संबंध में निर्दिष्ट कंपनी इस अधिनियम के तहत

निहित हैं और केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी के अधीन कार्यालय और सेवा रखेगी क्योंकी पेंशन, उपदान और अन्य मामलों के अधिकार जो उसे स्वीकार्य होते। यदि ऐसा कोई निहीत न होता और ऐसा तब तक जारी रहेगा जब तक की केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी के तहत उसका रोजगार विधिवत समाप्त नही हो जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों को केन्द्र सरकार या उतराधिकारी कम्पनी द्वारा विधिवत बदल नहीं दिया जाता है।

(2) XXX XXX

(3) XXX XXX

(4) XXXX XXX

हमने पाया है कि उन कर्मचारियों के संबंध में जो नियत तिथि से ठीक पहले पेंशन और अन्य पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे थे। अधिनियम की धारा 12 के तहत एक प्रावधान बनाया गया है, जो निम्नानुसार हैः

"12.(1) जहाँ भविष्य सेवानिवृत्ति, कल्याण या अन्य निधि एक निर्दिष्ट कंपनी द्वारा भारत में अपने उपक्रमों के संबंध में नियोजित व्यक्तियो के लाभ के लिए या ऑयल इंडिया द्वारा नियोजित ऐसे व्यक्तियों और व्यक्तियों के लाभ के लिए स्थापित की गई है। वहां से संबंधित धन कर्मचारी-

(क) जिनकी सेवाएं इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी को हस्तांतरित की जाती हैं या मामला ऑयल इंडिया के साथ जारी रह सकता है, या

(ख) जो नियत दिन से ठीक पहले पेंशन या अन्य पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

क्या, उस दिन ऐसे भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति, कल्याण या अन्य निधि के खाते मे जमा धन में से और केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कम्पनी या ऑयल इंडिया, जैसा भी मामला हो, को हस्तातंरित या निहीत किया जाएगा किसी भी ट्रस्ट से मुक्त जो उसके संबंध में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा गठित किया गया हो।

(2) उप-धारा (1) के तहत जो धन केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी या ऑयल इंडिया को हस्तांतरित किया जाएगा उसे केंद्र सरकार या उस कंपनी या ऑयल इंडिया, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस तरह से निपटाना जाएगा जो निर्धारित किया जा सकता है।

(3) जैसा भी मामला हो उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी या ऑयल इंडिया,नियुक्ति के दिन के बाद जितनी जल्दी हो सके, नियत दिन के धन और अन्य परिसम्पतियो के सम्बन्ध में गठित करेगी, जिन्हे हंस्तांतरित किया जा सकता है और जो इसमे निहीत है। इस धारा के तहत एक या एक से अधिक ट्रस्ट के पास मौजूदा ट्रस्ट की वस्तुओं के समान वस्तुए है,

जैसा कि परिस्थितियों में सम्भव हो सकता है। हालांकि, ट्रस्ट के लाभार्थियों के अधिकारों और हितों को संदर्भित किया गया है उपधारा (1) किसी भी तरह से पक्षपातपूर्ण और कमतर नहीं है। न्यास, जैसा कि परिस्थितियों में व्यवहार्य हो सकता है; इसलिए, हालांकि, कि न्यास के लाभार्थियों के अधिकार और हित निर्दिष्ट किए गए हैं। उप-धारा (1) में किसी भी तरह से पूर्वाग्रह या कमी नहीं है।

(4) जहां किसी मौजूदा न्यास से संबंधित सभी धन और अन्य परिसंपत्तियां इस धारा के तहत केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी सरकारी कंपनी या ऑयल इंडिया को हस्तांतरित की जाती हैं और उसमें निहित होती हैं। ऐसे ट्रस्ट के ट्रस्टी ऐसे निहित होने की तारीख से, ऐसे निहित होने की तारीख से पहले किए गए या किए जाने वाले कार्यों के संबंध में किए गए कार्यों को छोड़कर न्यास से मुक्त हो जाएंगे।

याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उपर्युक्त धारा 12 में निहित प्रावधानों के आधार पर, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के उद्देश्यों के लिए मौजूदा निधि जैसा कि 13.10.1981 को थी। जिसमें से याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया गया था वह भी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दिया गया था। कम्पनी अर्थात इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (असम ऑयल डिवीजन) (केंद्र सरकार) को हस्तांतरित कर दिए गए। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उपरोक्त प्रावधान के आधार पर, वे इंडियन ऑयल से अपने पेंशन

लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1995 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (एओडी) ने इंडियन ऑयल के संबंध में पेंशन में संशोधन के लिए एक फॉर्मूला जारी किया था। कर्मचारी पेंशन कोष से संबंधित उक्त अधिसूचना दिनांकित 10.3.1995 है। हालाँकि, उक्त योजना उन कर्मचारियों पर लागू की गई थी जो 1.12.1994 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। हालाँकि, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (ए. ओ. डी.) के कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कट-ऑफ तिथि पर आपत्ति जताते हुए उक्त कट-ऑफ तिथि को चुनौती दी थी। इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में अधिसूचना से "दिसंबर, 1994 के बाद से सेवानिवृत्त होने वाले" शब्दों को हटाते हुए कट-ऑफ तिथि को रद्द कर दिया। उक्त निर्णय [2001] 8 एस. सी. सी. पी. पेज नं. 71 सुब्रत सेन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मे निर्णित किया गया है। लेकिन संशोधित पेंशन योजना का लाभ याचिकाकर्ताओं के लिए स्वीकार्य नहीं किया गया था, अर्थात् 14.10.1981 से पहले यानी असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के राष्ट्रीकरण की तारीख से पहले सेवानिवृत।

याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि याचिकाकर्ताओं को असम ऑयल स्टाफ पेंशन फंड के तहत कवर किया गया था, जिसे राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 12(3) के आधार पर पुनर्गठित किया गया था और राष्ट्रीयकरण के बाद उन्हें उक्त योजना के तहत पेंशन मिल रही है, इसलिए

उन्हें 1995 में हुई पेंशन के संशोधन के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। पूर्ववर्ती असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के पेंशनभोगियों के रूप में उनका सम्बन्ध अधिनियम की धारा 12 खण्ड 4 की उपधारा 1 के आधार पर उत्तराधिकारी कंपनी के साथ वैसे ही जारी रहता है जैसे राष्ट्रीयकरण के बाद असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के मौजूदा कर्मचारियों का उत्तराधिकारी कंपनी के साथ था।

प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ताओं के दावे पर आपत्ति जताई है। उनका मामला यह है कि 14.10.1981 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 11 के आधार पर उत्तराधिकारी कंपनी में स्थानांतरित कर्मचारी नहीं थे। यह उन कर्मचारियों को शामिल नहीं करता है जो असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे। यह स्थिति 10.03.1995 की अधिसूचना की है। जिसमें 1983 की योजना को संशोधित करते हुए पेंशन लाभों को संशोधित करने वाली अधिसूचना याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होती है। जवाबी हलफनामे में आगे कहा गया है कि राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पेंशन लाभों की देनदारी का ध्यान रखा जाता है। इस बात से भी इनकार किया जाता है कि किसी भी कोष की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी या राष्ट्रीयकरण अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत केंद्र सरकार/इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को

14.10.1981 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन लाभों के लिए हस्तांतरित किया गया था। 1973 की योजना, जिसमें से याचिकाकर्ता पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे थे, ऐसे कर्मचारियों के लिए उनकी सेवानिवृत्ति से पहले जीवन बीमा निगम से वार्षिकी की खरीद के लिए थी। जवाबी हलफनामे का अनुच्छेद 19 नीचे उद्धृत किया गया हैः

"19. यह कि पैरा 5(xiv) की सामग्री गलत है और अस्वीकार की गई है। असम ऑयल कंपनी पेंशन फंड नियम और योजना 1973 के तहत योजना के सदस्य को उसकी सेवानिवृत्ति पर या उससे पहले वार्षिकीया खरीद कर दी जा रही थी और उक्त वार्षिकी उसके नाम पर खरीदी गई। ताकि वह जीवन भर पेंशन प्राप्त करता रहे। उसके नाम पर वार्षिकी खरीदे जाने के बाद निधि के तहत व्यक्ति के खाते में कुछ भी नही है। ऐसा होने पर अधिनियम की धारा 12(1) के तहत कोई पैसा हस्तान्तरित नही किया जाता है जहाँ तक वह व्यक्ति जो याचिकाकर्ताओ की तरह नियत तिथि या उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ है या याचिकाकर्ताओं को उनके नाम पर खरीदी गई वार्षिकी के लाभार्थी होने के कारण एल.आई.सी. से पेंशन मिल रही है न कि उन निधियों से असम ऑयल कंपनी से हस्तांतरित किए गए थे। यह सुझाव देना गलत है कि याचिकाकर्ता किसी भी अतिरिक्त लाभ के हकदार हैं जैसा कि इस माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार

14.10.1981 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया गया है।

प्रत्यर्थियों का कहना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (ए. ओ. डी.) कर्मचारी पेंशन निधि योजना, 1983 उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए नहीं थी जो पहले असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। अर्थात जो कभी भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी नहीं बने थे। इसलिए वे 1983 की योजना के लाभार्थी नहीं थे। 1973 की योजना के तहत कंपनी के अधिग्रहण से पहले प्रचलित वार्षिकी आधारित लाभ जारी है और याचिकाकर्ता अपनी ओर से खरीदी गई वार्षिकी के आधार पर पेंशन लाभ के हकदार हैं। उनकी ओर से यह भी समझाने की कोशिश की जाती है कि यह उन कर्मचारियों के व एल.आई.सी. बीच की एक तरह की व्यवस्था थी जिनके नाम पर वार्षिकी खरीदी गई थी। 1973 की योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लाभ के लिए कोई पेंशन निधि या कोई अन्य धन नहीं था। इस प्रकार जो कर्मचारी नियत दिन से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनका उस उत्तराधिकारी कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता था, जिसने याचिकाकर्ताओं की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यभार संभाला था। अब तक जो कर्मचारी असम ऑयल कंपनी लिमिटेड का कार्यभार संभालने के नियत दिन पर सेवा में थे, उनके लिए वर्ष 1983 में एक नई योजना लागू की गई थी, जिससे ऐसे कर्मचारियों के पेंशन लाभ के

लिए एक न्यास बनाया गया था। पूर्व-नियुक्त दिवस के सेवानिवृत्त व्यक्तियों को न तो 1983 की योजना मे शामिल किया गया है और न ही इससे उनका कोई सरोकार है और यह स्थिति होने के कारण उनके लिए 1995 में पेंशन के संशोधन का कोई लाभ लेने का कोई अवसर नहीं है।

हमारा मानना है कि उत्तरदाताओं की ओर से दिए गए उपरोक्त तर्क की बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है और इसके संबंध में हम अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) का उल्लेख कर सकते हैं जो निम्नानुसार हैः

"6(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक निर्दिष्ट कंपनी के उपक्रमों में सभी परिसंपत्तियां, अधिकार,शक्तियाँ, प्राधिकरण और विशेषाधिकार और सभी चल संपत्ति और अचल, किसी डिजाइन, व्यापार चिह्न, व्यापार नाम सहित लेबलिंग की शैली, स्टेशन की सजावट या कोई विशिष्ट रंग योजना, नकद शेष, आरक्षित निधि, पुस्तक ऋण, निवेश और अन्य सभी अधिकार और हित जो ऐसी संपत्ति में या उससे उत्पन्न होते है जो नियुक्त कंपनी से तुरंत पहले उसके उपक्रम के संबंध में थे और लेखा बहियां, रजिस्टर, अभिलेख और अन्य सभी दस्तावेज सभी ऋण, देनदारियां (भारत मे इसके उपक्रम के सम्बन्ध में नियोजित व्यक्तियों को किसी भी पेंशन और अन्य पेंशन लाभ के भुगतान के लिए, यदि कोई हों और किसी भी पेंशन और अन्य पेंशन लाभ के भुगतान के दायित्व सहित) भारत में

इसके उपक्रम के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की निर्दिष्ट कंपनी के दायित्व शामिल माने जायेंगे।

उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी कंपनी यह दावा नहीं कर सकती कि उसने तेल कंपनियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ अपने सभी संबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए है। जैसा कि धारा 6(1) के उतरार्ध भाग से यह स्पष्ट होगा कि केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी कंपनी की देनदारियाेंं में सभी ऋण, करों के भुगतान का दायित्व, यदि कोई हो, और भारत में अपने उपक्रमों अर्थात् निर्दिष्ट कंपनी अर्थात असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के संबंध में नियोजित व्यक्तियों को किसी भी पेंशन और अन्य पेंशन लाभों के भुगतान शामिल हैं। इस प्रकार, निर्दिष्ट कंपनियों (असम ऑयल कंपनी लिमिटेड) के कर्मचारियों की पेंशन या पेंशन लाभों की देनदारी को उस तरीके से नहीं हटाया जा सकता है जैसा हमारे सामने उत्तरदाताओं द्वारा करने की कोशिश की गई है और प्रचारित किया गया है। निर्दिष्ट कंपनियों (असम ऑयल कंपनी लिमिटेड) के कर्मचारियों के पेंशन और पेंशन सम्बन्धी लाभों के संबंध मे देनदारियां भी केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी कंपनी द्वारा बहुत अधिक ले ली जाती है। हम पहले ही अधिनियम की धारा 12 का हवाला दे चुके हैं। धारा 12 की उप-धारा (3) पर जोर देने के लिए हम इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। कि केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी कंपनी नियत दिन के बाद उन

धन और अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में एक या अधिक न्यासों का गठन करेगी जो न्यास के लाभार्थियों के मौजूदा अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मौजूदा न्यास के समान उद्देश्यों वाले उत्तराधिकारी कंपनी की सरकार में हस्तांतरित या निहित हैं।

1973 की योजना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों के पेंशन लाभों के लिए एक न्यास और उसका एक विलेख बनाकर तैयार की गई थी। नियत दिन पर ऐसे मौजूदा अधिकारों को अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) को देखते हुए पूर्वाग्रह से कम नही किया जा सकता। केंद्र सरकार या उत्तराधिकारी कंपनी को एक ऐसी योजना तैयार करनी थी जिसके उद्देश्य पहले से ही एक समान योजना के तहत मौजूद उद्देश्यों के समान थे। यह हमें दोनों योजनाओं के प्रावधानों की जांच करने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात्ः जिसे वर्ष 1973 में असम ऑयल के कर्मचारियों के लिए बनाया गया था और दूसरा जिसे वर्ष 1983 में उत्तराधिकारी कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, जिसे अच्छी तरह से अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा (3) और (4) के लिए संदर्भित किया जा सकता है। 1973 की योजना की एक प्रति अनुलग्नक पी-2 के रूप में रिकार्ड मे रखी गई है। इसका नाम असम ऑयल स्टाफ पेंशन फंड है। कोष के नियमों को असम ऑयल स्टाफ पेंशन पेंशनर्स एसोसिएशन के नियमों के रूप में जाना जाता है। असम ऑयल कंपनी और संबद्ध कंपनियों का

कोष (आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित (केंद्रीय), कलकत्ता द्वारा 1 अगस्त, 1973 से प्रभाव में लाया गया जो यह निर्धारित करता है कि योजना के सदस्य कौन होंगे और सेवा की निश्चित अवधि पूरी होने पर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पेंशन की देय राशि की गणना भी नियमों के तहत निर्धारित की गई थी। पूर्व-परिपक्व पेंशन के लिए एक प्रावधान है। पेंशन का एक हिस्सा आयकर नियम, 1962 के नियम 90 के प्रावधानों के अधीन न्यासियों के विवेक से भी परिवर्तनीय है। सेवानिवृत्ति के समय, यदि कर्मचारी के कुछ आश्रित हैं, तो न्यासी उनके विवेक से, आश्रितों को समान भुगतान करने के लिए उनकी पेंशन को कम कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की घटनाओ से निपटने के लिए विस्तृत नियम हैं, उदाहरण के लिए- सेवानिवृत्त व्यक्ति या उसकी विधवा और आश्रितों की मृत्यु आदि के मामले में। नियोक्ता के अनुरोध पर न्यासियों के पास पेंशन या वार्षिकी या उसके एक हिस्से को रोकने या बंद करने या उसे लाभों से वंचित करने की शक्ति है यदि सदस्य को धोखाधड़ी या बेईमानी या कदाचार के लिए बर्खास्त किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिभूति के माध्यम से या अन्यथा निधि में अपने हित को हस्तांतरित करने या सौंपने का हकदार नहीं होगा और ऐसा हस्तांतरण या कार्यभार वैध नहीं होगा। जैसा कि नियम 9 के तहत प्रावधान किया गया है कि कुछ स्थितियों में सदस्य को देय धन को निधि में जब्त किया जा सकता है। न्यासियों को किसी भी देय कर या नियमों के अनुसार दी गई किसी भी

पेंशन के स्त्रोत में कटौती करनी होती है। नियम 13 में आगे यह प्रावधान किया गया है कि नियमों के अनुसार पेंशन के भुगतान के अधिकार के अलावा किसी भी सदस्य को न्यासियों या निधि की किसी भी संपत्ति के खिलाफ कोई अधिकार नहीं होगा। "कोष" को यहाॅ पहले संदर्भित इस रूप में परिभाषित किया गया है "जिसका अर्थ है असम तेल कर्मचारी पेंशन कोष जिसे पहले संदर्भित किया गया है और इसमें धन, बीमा की पॉलिसियां या अन्य संपत्ति शामिल हैं जो इन उपहारों के अनुसार न्यासियों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं और कुछ समय के लिए उसका मुल्यांकन उसका और उसकी आय का प्रतिनिधित्व करता है।

इसलिए, 1973 की योजना से यह स्पष्ट है कि इसे तत्कालीन नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों के पेंशन लाभों के लिए तैयार किया गया था। इस योजना के तहत बनाए गए नियमों में हकदारी, हकदारी से मुक्ति, भुगतान के तरीके और अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग दावों के बारे में विवरण दिए गए हैं। योजना के संदर्भ में पेंशन को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। कुछ स्थितियों में राशि को कोष में ज़ब्त भी किया जा सकता है। जिस तरीके से पेंशन की गणना की जानी है, वह भी नियमों में विस्तृत है। इसलिए, यह कहना कि पेंशन लाभ कर्मचारी और एल.आई.सी. के बीच की एक व्यवस्था थी-सही नही है। पूर्व नियोक्ता, अर्थात् असम ऑयल कंपनी लिमिटेड ने कर्मचारियों के लिए वार्षिकी की

खरीद को सुविधाजनक बनाने में केवल एक मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं किया। इस योजना ने वह तरीका प्रदान किया जिसमें पेंशन निधि जुटाई जानी थी और जिस तरह से इसे पेंशन के रूप में वितरित और भुगतान किया जाना था। इसने अन्य सभी विवरण प्रदान किए है। जिनके द्वारा अपने कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान करने के उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई थी। किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विशेष रूप से कर्मचारी और एल. आई. सी. के बीच का मामला था और इसके अलावा कुछ भी नहीं।

अब हम 1983 की योजना की जांच कर सकते हैं जो उत्तराधिकारी कंपनी द्वारा उन कर्मचारियों के लिए तैयार और प्रख्यापित की गई है जो असम ऑयल कंपनी लिमिटेड में काम कर रहे थे और जिन्हें नियत दिन पर उत्तराधिकारी कंपनी के कर्मचारियों के रूप में लिया गया था। इसका शीर्षक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (असम ऑयल डिवीजन) स्टाफ पेंशन फंड ट्रस्ट डीड है। इसकी प्रस्तावना में विलेख इस प्रकार हैः

"जबकि बर्मा ऑयल कंपनी की धारा 12 (1) के तहत (ऑयल इंडिया और भारत में उपक्रमों के शेयरों का अधिग्रहण) और बर्मा ऑयल कंपनी (भारतीय व्यापार) लिमिटेड अधिनियम, 1981 (1981 का 41) (इसके बाद संदर्भित) "अधिग्रहण अधिनियम" के रूप में), असम ऑयल स्टाफ पेंशन फंड (इसके बाद मौजूद फंड के रूप में संदर्भित) के क्रेडिट मे जमा धनराधि

असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों के लाभ के लिए स्थापित एक कोष ऐसे कर्मचारियों के संबंध में जिनकी सेवाएं निगम को हस्तांतरित कर दी गई थी। (बाद मे स्थानांतरित कर्मचारियों के रूप मे संदर्भित) और जो पेंशन या अन्य पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे थे। 14 अक्टूबर, 1981 से निगम मे स्थानांतरित और निहत हो गए (उसके बाद इसे 'नियुक्त दिवस' के रूप में माना जाएगा)। इसके बाद इसे उसके सम्बन्ध मे असम ऑयल कम्पनी लिमिटेड द्वारा गठित किसी भी न्यास से मुक्त है।

और जबकि मौजूदा निधि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 (6) के अर्थ के तहत एक अनुमोदित सेवानिवृत्ति निधि है

और जहां अधिग्रहण अधिनियम की धारा 12(3) के तहत, निगम को हस्तांतरित और निगम में निहित धन के संबंध में कंपनी को एक अलग पेंशन कोष (इसके बाद "कोष" के रूप में संदर्भित) स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा कोष के उद्देश्यों के समान है, ताकि उन स्थानांतरित कर्मचारियों और निगम के अन्य कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान किए जा सकें जिन्हें कोष के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है(जिन्हें इसके बाद "सदस्य" के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। इस प्रकार जो ऊपर उद्धृत किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि पेंशन योजना 1983, अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (3) के अनुसरण में तैयार और प्रख्यापित की गई है और यह उन कर्मचारियों के संबंध में है जो

नियत दिन से उत्तराधिकारी कंपनी के कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे थे और पदभार संभाल रहे थे और साथ ही साथ जो पेंशन या अन्य पेंशन लाभ प्राप्त कर रहे थे। इसमें आगे उल्लेख किया गया है कि मौजूदा निधि 14 अक्टूबर, 1981 से असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा गठित किसी भी न्यास से मुक्त होकर निगम को हस्तांतरित और निहित की गई थी। नियत दिन पर मौजूद निधि केंद्र सरकार/उत्तराधिकारी कंपनी में हस्तांतरित और निहित हो गई। हम पहले ही देख चुके हैं कि 1973 की योजना के तहत गठित की गई उस तारीख को जो निधि मौजूद थी, वह 14.10.1981 से पहले सेवारत या सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन लाभों के लिए थी। अधिनियम की धारा 12 (3) के तहत कानून की आवश्यकता के अनुसार, 1983 की योजना के उद्देश्य मौजूदा निधि के उद्देश्यों अर्थात 1973 की निधि के उद्देश्यों के समान हैं। पेंशन कोष 1983 को 14.10.1981 से प्रभावी बनाया गया है। उस समय असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा गठित निधि को उत्तरदाताओं के स्वयं के प्रदर्शन पर उत्तराधिकारी कंपनी में स्थानातंरित और निहित कर दिया गया। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि याचिकाकर्ताओं के पेंशन लाभों के लिए कोई निधि मौजूद नहीं थी अर्थात असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारी या यह उत्तराधिकारी कंपनी में निहित नहीं थे। 1983 के न्यास विलेख में मौजूदा निधि के किसी भी आंशिक हस्तांतरण और निहित करने की बात नहीं की गई है। योजना की आगे की जाँच से पता चलता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

लिमिटेड(ए.ओ.डी.) के कर्मचारी पेंशन निधि नियमों की कार्यप्रणाली 1973 की योजना और उसके तहत बनाए गए नियमों के समान है। 'स्थानांतरित कर्मचारी' शब्द को नियम 2(i) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 'स्थानांतरित कर्मचारी' शब्द का अर्थ असम ऑयल कंपनी लिमिटेड का एक कर्मचारी है जो नियत दिन या उससे पहले मौजूदा निधि का सदस्य था और जिसके संबंध में मौजूदा निधि में जमा किया गया पैसा अधिनियम की धारा 12(1) के तहत निगम में हस्तांतरित या निहित था। याचिकाकर्ता निस्संदेह मौजूदा निधि के सदस्य थे, अर्थात् कंपनी के कर्मचारियों के पेंशन लाभ के लिए 1973 की योजना के तहत बनाया गया कोष और नियत दिन पर कौनसा कोष मौजूद था। इसलिए, हस्तांतरित कर्मचारी की परिभाषा के तहत 14.10.1981 को मौजूदा निधि से पेंशन लाभ प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को भी 1983 की योजना के उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित कर्मचारी माना जाएगा और आगे 'सदस्य' शब्द की परिभाषा में निगम के एक कर्मचारी में एक स्थानांतरित कर्मचारी शामिल है। 1983 की योजना के कामकाज के आगे के विवरणों के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि यह उसी तरह से काम करता है जैसे 1973 की योजना यानी एल. आई. सी. से वार्षिकी खरीदकर किया गया था। लगभग सभी पिछली योजना जैसी ही है। याचिकाकर्ता जो नियत दिन पर 1973 की योजना के पेंशनभोगी सदस्य रहे हैं, उन्हें 1983 की योजना के सदस्य होने के कारण निगम के पेंशन लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति होने

के कारण उन्हें 1995 की संशोधित पेंशन योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

सुब्रत सेन के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में उत्तरदाताओं की ओर से यह पूरजोर आग्रह किया है कि उक्त निर्णय का वर्तमान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस मामले में उन लोगों द्वारा विवाद उठाया गया था जो असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों के रूप में नियत दिन पर काम कर रहे थे और उन्हें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के रूप में लिया गया था, लेकिन उसके बाद वे दिसंबर, 1994 से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि 1995 की योजना के तहत पेंशन की गणना के संशोधित सूत्र का लाभ केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध था जो दिसंबर, 1994 के बाद सेवानिवृत्त हुए थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 14.10.1981 से पहले सेवानिवृत्त लोगों से संबंधित कोई प्रश्न उस निर्णय में शामिल नहीं था। इसलिए, "दिसंबर, 1994 के बाद से सेवानिवृत्त" लोगों के लिए योजना के हिस्से को हटाने में केवल वे कर्मचारी शामिल होंगे जो निर्धारित दिन के बाद और दिसंबर, 1994 से पहले सेवानिवृत्त हुए होंगे। सबसे पहले यह संकेत दिया जा सकता है कि अग्रिम तर्क से गुण-दोष पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर संशोधित सूत्र के अनुसार पेंशन लाभ की उपलब्धता पर लगाया गया

प्रतिबंध हटा दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोटे तौर पर संशोधित सूत्र का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो दिसंबर, 1994 से पहले ही सेवानिवृत्त हो गए थे। दिसंबर, 1994 के बाद से सेवानिवृत्त होने वालों के लिए संशोधित सूत्र को लागू करने का प्रावधान करने वाले ऐसे किसी भी प्रावधान के अभाव में, 1995 का सूत्र 1983 की योजना के सभी सदस्यों पर लागू होगा, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। यह उत्तरदाताओं का भी मामला है कि 1995 का संशोधित सूत्र उन लोगों पर लागू होगा जो 1983 की योजना के सदस्य हैं। हमने पहले ही पाया है कि 1973 की योजना के तहत पेंशनभोगी भी 1983 की योजना के प्रावधानों के अनुसार 1983 की योजना के सदस्य बन जाएंगे। हम यह भी देखते हैं कि 1983 की पेंशन योजना में बताए गए तथ्यों और कथन के खिलाफ उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ दी गई हैं। संशोधित सूत्र के अनुसार पेंशन लाभों के लिए याचिकाकर्ताओं की पात्रता अधिनियम की धारा 6 (1) और धारा 12 (3) और (4) और 1983 की पेंशन योजना के तथ्य और प्रावधान के अनुरूप है। कोई भी अन्य व्याख्या इन प्रावधानों के तथ्यों और अर्थ और भावना के विरूद्ध होगी।

उत्तरदाताओं ने [1998] 8 एस. सी. सी पेज 30, वी. कस्तूरी बनाम एम. डी. भारतीय स्टेट बैंक और अन्य मे रिपोर्ट किए गए निर्णय पर भरोसा किया है। उन्होने कहा कि पेंशन को बढ़ाने या पेंशन की गणना के

लिए एक नए सूत्र का प्रावधान करने वाला संशोधन पूर्व सेवानिवृत्त लोगों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि ऐसा प्रावधान उनके लिए स्पष्ट रूप से लागू नहीं किया जाता है। हालाँकि, हम पाते हैं कि उपरोक्त उल्लिखित निर्णय से उत्तरदाताओं के मामले में कोई मदद नहीं होगी क्योंकि जो अभिनिर्धारित किया गया है वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति को पहले से ही पेंशन लाभ मिल रहे हैं और पेंशन में वृद्धि के लिए एक संशोधन किया गया है, तो ऐसा सेवानिवृत्त व्यक्ति बढ़े हुए लाभ का हकदार होगा और इसे इस कारण से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि वह परिवर्तन लागू होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था। निश्चित रूप से जो पेंशन के बिल्कुल भी हकदार नहीं थे, उन्हें उन पेंशनभोगियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता था, जिनके लिए पेंशन लाभ में वृद्धि लागू होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह का लाभ मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए उपलब्ध होगा न की उन लोगों के लिए जो पेंशन के हकदार नहीं थे और न ही उन्हें पेंशन मिल रही थी। उपरोक्त के अलावा, हम पहले ही पा चुके हैं कि याचिकाकर्ता को अपने पूर्व नियोक्ता असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाई गई 1973 की पेंशन योजना का सदस्य बनाया गया है। जिसके तहत उसे पेंशन कोष के प्रबंधन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार अपनी पेंशन मिल रही थी। कहने का तात्पर्य यह है कि वे केंद्र सरकार द्वारा उपक्रम का अधिग्रहण करने के समय मौजूदा पेंशन निधि के सदस्य थे। पेंशन निधि भी केन्द्र सरकार की कम्पनी में हस्तांतरित और

निहित कर दी गई। जैसा कि वर्ष 1983 में बनाई गई योजना में किए गए दावो से स्पष्ट होगा। हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि कैसे निर्दिष्ट कंपनी के पेंशनभोगी भी 1983 की योजना के सदस्य बने। जिसे 14.10.1981 से प्रभावी बनाया गया था। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ताओं को अभी भी उनकी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ता 1995 में शुरू किए गए नए सूत्र के लाभ के हकदार होंगे बल्कि याचिकाकर्ता को कस्तुरी के निर्णय के आलोक में उस लाभ से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उत्तरदाताओं के अनुसार नए सूत्र का लाभ उन लोगों के लिए उपलब्ध था जो 1983 की योजना के सदस्य थे। इस न्यायालय द्वारा एक अन्य निर्णय हरिराम गुप्ता बनाम उत्तरप्रदेश राज्य पेज 388 को ध्यान मे रखा गया किन्तु उक्त निर्णय भी मौजूदा मामले के तथ्य पर लागू नहीं होता है।

यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ताओं को किसी अन्तिम तिथि को छोडकर या वित्तीय बाधाओं या इसी तरह के कारणो से नए सुत्रों के लाभ से वंछित किया जाएगा। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों का मामला यह है कि याचिकाकर्ताओं को उत्तराधिकारी कंपनी से कोई सरोकार नहीं था क्योंकि वे नियत तिथि से पहले सेवानिवृत हो चुके थे। उनके लिए

कोई पेंशन फण्ड नहीं था और न ही उतराधिकारी कम्पनी को उनके पेंशन लाभों के साथ कुछ करना था क्योंकि यह एक ऐसा मामला था जिसमें एल. आई. सी. से उनके नाम पर वार्षिकी खरीदी गई थी। इसलिए, यह याचिकाकर्ताओं और एल. आई. सी. के बीच का मामला था। निर्णय के पूर्व भाग में चर्चा किए गए कानून के प्रावधानों के साथ-साथ तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए, उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख टिकाऊ नहीं है। याचिकाकर्ता 1973 की पेंशन योजना के लाभार्थी थे और 1983 की योजना के सदस्य भी बन गए थे, जिसने उन्हें 1995 से प्रभावी पेंशन के संशोधन के सूत्र का लाभ का हकदार बना दिया था।

परिणामस्वरूप, हम रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और उत्तरदाताओं को संशोधित पेंशन के लिए 1995 के सूत्र के अनुसार याचिकाकर्ताओं को पेंशन लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश देते है और बकाया राशि जो देय पाई जा सकती है, आज से चार महीने की अवधि के भीतर चुका दी जाएगी।

लागत आसान है।

याचिका की अनुमति दी गई।

एसकेएस

(यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती ममता सैनी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।)